

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2012

मद क्रमांक 1 - 2

राजभवन के आवास की साज-सज्जा हेतु इस वर्ष के दौरान राशि रुपये 8.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राजभवन अंतर्गत वाहन क्रय हेतु इस वर्ष के दौरान राशि रुपये 39.50 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये कुल 05 वाहनों के क्रय हेतु इस वर्ष के दौरान राशि रुपये 41,15,700 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,15,700 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

लोक सेवा आयोग में अभिभाषक शुल्क के लिये राशि रुपये 14.00 लाख एवं साफ सफाई व्यवस्था हेतु राशि रुपये 10.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 24.00 लाख की इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 24,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 7

जन शिकायत निवारण की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के संचालन के लिये अनुरक्षण कार्य एवं स्थायी संपत्तियों के अनुरक्षण हेतु इस वर्ष के दौरान रुपये 10.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

राज्य सत्कार कार्यालय हेतु परामर्श सेवाओं के लिये राशि रुपये 10,000 की आवश्यकता होगी अतः संबंधित मद खोला जाकर होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में 06 अनुपयोगी वाहनों के बदले 06 नये वाहन क्रय के लिये इस वर्ष के दौरान राशि रुपये 46.80 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 11

प्रदेश के नागरिकों के जीवन में खुशियां हों, उनके जीवन में आनंद हो, उनमें सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सके और वे हंसते मुस्कराते हुये स्वस्थ रहे

व अपना जीवन यापन उच्च स्तर का बनाये रख सकें इसके लिये प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान की स्थापना की जानी है। नये संस्थान में संधारण अनुदान हेतु कुल राशि रुपये 2.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 12 - 14

आर्थिक अपराध अन्वेषण अंतर्गत 8 वाहन प्रतिस्थापन के तहत वाहन क्रय हेतु रुपये 34.00 लाख एवं उज्जैन तथा सागर के नवीन इकाई खोले जाने के कारण इन दोनों कार्यालयों हेतु 4 क्रय किये जाने हेतु रुपये 26.00 लाख एवं मकान किराया भत्ता मद में रुपये 2.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 58.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है। मद शीर्ष न होने के कारण प्रतीक प्रावधान खोला जाकर राशि की व्यवस्था बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1 - 2

राज्य सत्कार कार्यालय हेतु संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं विशेष सेवाओं हेतु राशि रुपये 1.50 लाख की आवश्यकता है। अतः इस हेतु उद्देश्य शीर्ष खोला जाकर होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

राज्य मुख्यालय संबंधी योजना अंतर्गत स्थानान्तरण यात्रा भत्ता व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

इस योजना अंतर्गत मकान किराया व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 10 हजार का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अपराध अनुसंधान विभाग योजना अंतर्गत वाहन क्रय व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 2628.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोक अभियोजन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान हेतु राशि रुपये 40.60 लाख की आवश्यकता है। शीर्ष उपलब्ध नहीं होने के कारण मद शीर्ष खोला जाकर विभाग द्वारा राशि की व्यवस्था बचत से सुनिश्चित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

राज्य सायबर मुख्यालय योजना अंतर्गत उपकरण व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

पुलिस कर्मियों का कल्याण संबंधी योजना अंतर्गत उपकरण व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 1.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

कम्प्यूटर शाखा योजना अंतर्गत किराया, महसूल और स्थानीय कर व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 268.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र के अंतर्गत अन्य प्रभार मद के साथ ही विभिन्न थानों में कम्प्यूटर दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष के दौरान राशि रुपये 4336.16 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,36,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला सागर अंतर्गत उपकरण व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 3.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

राज्य हेतु नवीन राज्य सड़क सुरक्षा नीति वर्ष 2016 लागू की गयी है। इसके अंतर्गत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कोष का गठन किया गया है। कोष की स्थापना हेतु रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान अन्य मदों की बचत से रुपये 10.00 करोड़ का पुर्नविनियोजन कर कोष में राशि उपलब्ध कराई जायेगी। शेष राशि रुपये 40.00 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

भर्ती एवं पदोन्नति पर व्यय संबंधी योजना अंतर्गत भोजन व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इस मद में राशि रुपये 80.00 लाख का व्यय होना संभावित है। अतः रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि बचत से उपलब्ध कराई जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 - 14

स्ट्रेथिंग होम लेण्ड स्क्रियुरिटी के अंतर्गत मशीन उपकरण, नवीन वाहनों का क्रय एवं सामग्री, शस्त्र और गोला बारूद मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1405.31 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,05,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 15

पुलिस कर्मचारियों के आवास गृहों के निर्माण के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 90.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

माननीय मंत्रीगणों के आवासों की साज-सजा हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान इस मद में राशि रुपये 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः रुपये 30.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 2

मोटर गैरिज अंतर्गत वाहन प्रतिस्थापन मद उपलब्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष के दौरान माननीय मंत्रीगणों हेतु नवीन वाहन क्रय किये जाने हेतु इस मद में राशि रुपये 131.47 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,31,47,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 3

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत अपराध पीड़ितों को या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानियों की क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु पूर्व में दिये गये आकस्मिकता निधि से प्रदाय अग्रिम राशि रुपये 2.00 करोड़ के समायोजन हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पूर्व दृष्टि प्रयोजन के लिये अनुदान मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 8

राज्य आपदा प्रबंधन क्षमता विकास के अंतर्गत सशक्तिकरण के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्य आकस्मिक व्यय, कार्यालयीन उपकरणों का क्रय, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय एवं परिवहन व्यवस्था मदों में वर्ष के दौरान राशि रुपये 1.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,00,00 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

संचालनालय संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त वाहन चालकों की सेवाओं के भुगतान हेतु रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत वाहनों के संचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु तीन वाहनों हेतु रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालनालय संस्थागत वित्त मध्यप्रदेश भोपाल के अन्तर्गत स्टेट विजन इवाल्युवेशन टीम हेतु नियुक्त सलाहकारों को भुगतान हेतु रुपये 6.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग में आबकारी संचालनालय की परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत राशि रुपये 4.92 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1 - 6

भारत सरकार द्वारा पांचवी लघु सिंचाई संगणना हेतु मानदेय, अन्य आकस्मिक व्यय, कार्यालय, प्रशिक्षण, विशेष सेवाओं हेतु मानदेय, परिवहन व्यय के लिये राशि रुपये 670.53 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 670,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 7 - 37

राजस्व विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ है। इस नवगठित आयोग के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, संविदा कर्मचारियों का वेतन, ग्रेड पे, मजदूरी, वेतन भत्ते अ.भा.से., कार्यभारित आकस्मिक सेवा वेतन, यात्रा भत्ता, डाक तार व्यय, दूरभाष व्यय, कार्यालय फर्नीचर क्रय, पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें, बिजली एवं जलप्रभार, लेखन सामग्री एवं फार्म, अन्य आकस्मिक व्यय, पेट्रोल तेल आदि, आतिथ्य पर व्यय, किराया महसूल, कार्यालय उपकरण क्रय, वाहनों का क्रय, परामर्श सेवायें, अभिभाषकों की फीस, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, सफाई व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, मशीन अनुरक्षण, वाहन अनुरक्षण एवं फर्नीचर अनुरक्षण नवीन मद खोले जाने हेतु रुपये 1,75,70,000 की आवश्यकता है। उपरोक्त व्यय बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

मॉडल केरियर सेंटर की स्थापना हेतु केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 193.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,93,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 2

जिला उद्योग केन्द्र के अंतर्गत अभिभाषकों की फीस के भुगतान हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 3

म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान हेतु राशि रुपये 56.78 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 56,78,400 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

निवेश प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सहायता हेतु राशि रुपये 230.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत सहायता हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत सहायता हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

मद क्रमांक 7

अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमन भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन अंतर्गत किराया महसूल एवं स्थानीय कर हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

मद क्रमांक 8

ऑटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा अंतर्गत धनवेष्ठन/निवेश हेतु राशि रुपये 600.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6851

मद क्रमांक 9

औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु ए.के.व्ही.एन. को सहायता अंतर्गत एन्यूटी के भुगतान हेतु राशि रुपये 38.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु ए.के.व्ही.एन. को सहायता अंतर्गत एन्यूटी के भुगतान हेतु राशि रुपये 47.63 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6856

मद क्रमांक 11

निवेश प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदाय की जा रही निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 440.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

टैरिफ सब्सिडी हेतु विद्युत वितरण कंपनियों के लिये राशि रुपये 560.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 3

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के विद्युत नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु एशियन विकास बैंक से प्राप्त राशि के पुस्तकीय समायोजन हेतु राशि रुपये 21.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

कृषि विभाग के अंतर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

किसान कल्याण तथा कृषि विकास अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु राशि रुपये 1331.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,31,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

निर्मल भारत अभियान के क्रियाव्ययन में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2912.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 2

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 7000 हितग्राहियों तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 7000 हितग्राहियों को लाभांशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें परियोजना लागत की अधिकतम राशि रुपये 50000/- में अनुदान सहायता अधिकतम रुपये 15000/- प्रदान की जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 271.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,71,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 16000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 4

मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना अंतर्गत बैंको को ऋण का पुनर्भुगतान करने तथा नवीन स्वीकृत प्रकरणों की मासिक किश्तों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 8500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 16311.63 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,63,11,63,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन) हेतु निर्धारित राशि हेतु अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 671.99 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,71,99,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 1

मुछुआ आवास योजना अंतर्गत राशि रुपये 90.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना अंतर्गत कृषकों को सहायता प्रदान करने हेतु राशि रुपये 118.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,18,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान हेतु राशि रुपये 138.75 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु राशि रुपये 603.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,03,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6425

मद क्रमांक 4

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान हेतु राशि रुपये 55464.34 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,54,64,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सहकारिता विभाग के अंतर्गत विपणन संघ को प्याज खरीदी हेतु अग्रिम हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 1

श्रम विभाग के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष पंजीयक औद्योगिक न्यायालय का वाहन उपयोगी न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2211

मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवार कल्याण सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते के भुगतान हेतु नवीन मद खोली जाकर राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 1

निम्नांकित समूह जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में राशि रुपये 31630.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	योजना का नाम	जिला	आवश्यक प्रावधान
------	--------------	------	-----------------

1.	करनपुरा समूह जल प्रदाय योजना	कटनी/उमरिया	100
----	------------------------------	-------------	-----

2.	बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना	शहडोल	100
----	------------------------------	-------	-----

3. बल्लोड़ समूह जल प्रदाय योजना	उमरिया	100
	योग	300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

निम्नांकित नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण में राशि रुपये 1453.13 करोड़ का व्यय संभावित है, जिसकी व्यवस्था उपलब्ध बजट से की जायेगी।

क्र.	योजना का नाम	जिला	आवश्यक प्रावधान
1.	मझगांव (बरियापुर) समूह जल प्रदाय योजना	पन्ना	100
2.	सगड़ (हिनातिया माली) समूह जल प्रदाय योजना	विदिशा	100
3.	रहली समूह जल प्रदाय योजना	सागर	100
4.	बानसुजारी (बड़ा मल्हार) समूह जल प्रदाय योजना	छतरपुर	100
5.	निवाड़ी-पृथ्वीराजपुर समूह जल प्रदाय योजना	टीकमगढ़	100
6.	ब्यारमा (जबेरा-तेंदूखेड़ा) समूह जल प्रदाय योजना	दमोह	100
7.	बंडोल समूह जल प्रदाय योजना	सिवनी	100
	योग		700

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 700 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
मुख्य शीर्ष	2053

मद क्रमांक 1

लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत कॉल सेंटर की स्थापना के लिये इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2059

मद क्रमांक 1

शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मण्डल की स्थापना का व्यय अंतर्गत दो नवीन वाहनों का क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 16.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2217
-------------	------

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, योजना (डूडा/सूडा) के अंतर्गत सहायक अनुदान मद खोला जाकर राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना

है। राशि की व्यवस्था बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत अनुदान हेतु राशि रुपये 491.81 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,91,81,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	23
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1

बाण सागर परियोजना यूनिट-2 अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 75.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना अंतर्गत बाध तथा संलग्न कार्यों के लिये राशि रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

भानपुरा नहर परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मोहनपुरा परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

कुण्डलिया परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निम्नांकित नवीन वृहद परियोजना में राशि रुपये 38977.00 लाख का व्यय संभावित है।

(राशि लाख में)

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत	सिंचाई क्षमता हेक्टर	अनुपूरक अनुदान की राशि
--------	--------------	------	------	-------------------------	------------------------

1.	चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	अशोकनगर	38977.00	20000	100
----	--------------------------------	---------	----------	-------	-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4701
-------------	------

मद क्रमांक 7

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। राशि की आवश्यकता की पूर्ति विभागीय बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मझगवां मध्यम परियोजना अंतर्गत नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत खरमेंर परियोजना के निर्माण में राशि रुपये 34810.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति विभागीय बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिये राशि रुपये 30444.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति विभागीय बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में राशि रुपये 38229.00 लाख की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति विभागीय बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4705

मद क्रमांक 12

राष्ट्रीय जल मिशन योजना के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन हेतु रुपये 20.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

सड़क कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण व पर्यवेक्षण के लिये कंसलटेन्ट के नियोजन हेतु आवश्यक राशि की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 2

वृहद पुलों के निम्नांकित निर्माण कार्य राशि रुपये 4872.91 लाख की लागत से किये जाने हैं, जिसकी पूर्ति विभागीय बजट से की जायेगी।

(राशि लाख में)

स.क्र. मार्ग का नाम जिला लागत अनुपूरक अनुदान की राशि

1.	पन्ना जिले के बछौन गुमानगंज मार्ग में केन नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग नीय पुल का निर्माण	पन्ना	942.30	100
2.	श्योंपुर जिले में सोनघटा से मलपुरा मार्ग में किले के नीचे सीप नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	श्योंपुर	757.56	100
3.	बालाघाट जिले में बडपानी देवनारा मार्ग में बावनथड़ी नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमगनीय पुल का निर्माण	बालाघाट	788.84	100
4.	सिवनी जिले के छपारा चमारी जोबा मार्ग के कि.मी. 1/4 में चमरा नाले पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	सिवनी	121.87	100
5.	भोपाल बीना रेल्वे सेक्शन क्रॉसिंग क्रमांक 288 पर रेल्वे ओव्हर ब्रिज एवं पहुंच मार्ग हेतु युटिलिटी शिफ्टिंग कार्य	रायसेन	774.70	100
6.	राजगढ़ जिले के सारंगपुर संडावता मार्ग के कि.मी. 9/6 में काई नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	राजगढ़	584.52	100
7.	राजगढ़ जिले में जावरा कालीपीठ मार्ग के कि.मी. 8/10 पर अजनार नदी पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	राजगढ़	479.95	100
8.	खण्डवा जिले में दोंदवाड़ा मोकलगांव मार्ग के कि.मी. 3/6 में वाना नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग नीय पुल का निर्माण	खण्डवा	203.77	100
9.	शाजापुर जिले में कबुलपुर-कमरदीपुर को राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रं. 3 से जोड़ने वाले मार्ग पर उतावली नदी पर पुल निर्माण	शाजापुर	219.40	100

योग 4872.91 900

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.ड.बी. वित्त पोषित) अंतर्गत रुपये 150.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नांकित 34 कार्य राशि रुपये 14212.47 लाख की लागत से किये जाना है।

(राशि लाख में)

स.क्र. कार्य का नाम जिला लागत अनुपूरक अनुदान की राशि

1	सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत सगरा से भेड़ाघाट मार्ग निर्माण अंतर्गत विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य	जबलपुर	117,11	100
---	---	--------	--------	-----

2	सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत केरपानी से नरसिंहपुर मार्ग निर्माण अंतर्गत विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य	नरसिंहपुर	162.61	100
3	सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत गोटेगांव से कुण्डा मार्ग निर्माण अंतर्गत विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य	नरसिंहपुर	126.35	100
4	बड़े ठाकुर बाबा छोटे ठाकुर बाबा मगरा से चन्द्रपुरा मार्ग	सागर	604.99	100
5	मर्दानपुर बैडियाकला मार्ग	हरदा	394.08	100
6	कटंगी से बचैया मार्ग पर विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य	जबलपुर	129.81	100
7	पिपरियाकला से उसराय मार्ग	नरसिंहपुर	161.58	100
8	अमाड़ा से इमलिया बगलई मार्ग का निर्माण	नरसिंहपुर	380.59	100
9	गाडरवारा सिटी पोर्शन (राठी तिराहा से पलोहा नाका) मार्ग	नरसिंहपुर	173.56	100
10	बेहट रोड़ से काशीपुर मार्ग	ग्वालियर	198.68	100
11	जिगनिया खुरैरी मार्ग से भेला कलॉ होते हुए भेला खुर्द मार्ग	ग्वालियर	234.91	100
12	मिसरोद सलैया मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	भोपाल	857.23	100
13	गरोठ मेलखेड़ा मार्ग से रणायरा पहुँच मार्ग	मंदसौर	774.77	100
14	अकाली शिवदास से नारिया जंक्शन मार्ग	मंदसौर	298.30	100
15	खजूरीपंथ से नलखेड़ा सेमली दिवान गरोठ बोलिया मार्ग	मंदसौर	991.40	100
16	लिधोरा बायपास मार्ग	टीकमगढ़	476.62	100
17	कोठरी मैनाखेड़ी पारवागोसाई मार्ग	सीहोर	398.73	100
18	नगरा से तुल्हारा मार्ग	शिवपुरी	383.28	100
19	ग्वालियर बायपास से भूत पुलिया मार्ग	शिवपुरी	608.53	100
20	करैया से दुबई पहुँच मार्ग	ग्वालियर	144.98	100
21	थांदला बायपास मार्ग	झाबुआ	887.95	100
22	ओवरी खोखम से बारी जंक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग-7 तक मार्ग	सतना	345.86	100
23	एन.एच.-75 से महुरछ बठिया खारी तपा तक मार्ग का पुनर्निर्माण	सतना	316.05	100
24	तराना मांगलिया व्यासखेड़ी मार्ग निर्माण हेतु विद्युत लाईन एवं ट्रांसफार्मर सबस्टेशन शिफ्टिंग कार्य	इंदौर	315.94	100
25	दतिया सेवड़ा मार्ग (एस.एच.-19) पर कि.मी. दतिया 101 में इन्दरगढ़ शहरीय भाग में चौड़ीकरण एवं नाली निर्माण		248.85	100
26	गिल्लोर से गोरखपुर मार्ग	सीहोर	483.24	100
27	कोठी नं. 18 पहुँच मार्ग	विशपुरी	179.09	100
28	जिगना हिनोती मार्ग	सतना	708.11	100
29	झिन्ना मर्जादपुर भैंसरहा चर्की मार्ग	सतना	526.66	100
30	भिण्ड मिहोना मार्ग से बिलाव का पुरा मार्ग	भिण्ड	135.53	100

31.	रतनपुरा आलमपुर मार्ग	भिण्ड	998.90	100
32.	टेमी मल्लाह पिपरिया मार्ग	नरसिंहपुर	335.40	100
33.	करकबेल बेलखेड़ा मार्ग	नरसिंहपुर	432.57	100
34.	नलवा से कुण्डाला मार्ग	नीमच	518.17	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

खनिज क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु आवश्यक राशि की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

ग्रामीण सड़को का निर्माण योजना अन्तर्गत निम्नांकित 54 कार्य रुपये 18626,54 लाख की लागत से किया जाना है। राशि की उपलब्धता विभागीय बजट से की जायेगी।

1	दतिया	बड़ोनकलां से रैपुरा बामरोल होते हुए सिनावल मार्ग	9.76	674.30	100
2	दतिया	बिलोनी नानेर गांव बायपास मार्ग	1.88	127.33	100
3	दतिया	बेहरुका से बनौली पहुँच मार्ग	2.20	122.42	100
4	दतिया	बिलोनी से बढगवां पहुँच मार्ग	4.20	241.67	100
5	मुरैना	सुजानगढ़ से एरोली मार्ग	4.70	259.42	100
6	इंदौर	चौहानाखेड़ी से गारीपिपरिया मार्ग	2.00	146.33	100
7	बालाघाट	झालीवाड़ा बासी अंसेरा जरामोहगांव मार्ग	2.20	169.18	100
8	बालाघाट	कटेधरा जरामोहगांव मार्ग के कि. मी. 8/2 से 14/8 तक	6.80	285.18	100
9	नरसिंहपुर	सिमरिया चरगवां मार्ग से कुकलाहा शालीवाड़ा पहुँच मार्ग	4.80	603.07	100
10	गुना	बिसनवाड़ा से भौरा, भौरा से कोहन होते हुए हमीरपुर मार्ग भाग-2 (पुल-पुलिया कार्य)	0.00	614.62	100
11	ग्वालियर	पार से जखा व्हाया इमलिया मार्ग	6.40	413.99	100
12	मुरैना	सिंहानिया पोरसा मार्ग	3.72	604.56	100
13	शिवपुरी	महल बाउ.ड़ी मार्ग	1.25	287.13	100
14	शिवपुरी	दुल्हा सिंह मार्ग	2.18	578.85	100
15	गुना	डायवर्शन रोड ऑन गुना उमरी सिरसी मार्ग (कि. मी. 37 से 40)	5.37	253.69	100
16	सीधी	मटखनिया कुदरिया से जोरा मार्ग	9.40	633.37	100
17	सीहोर	खेड़ा (नयागांव) से कोलारी मार्ग	2.50	362.65	100
18	सीहोर	खिड़किया से कोलारी मार्ग	3.50	513.61	100
19	सीहोर	शमशान घाट से पीपलनेरिया मार्ग	3.50	487.05	100
20	सतना	खेरवा से झूंडी मार्ग	3.40	212.26	100
21	श्यापुर	राडेप से मालीपुरा मार्ग	5.12	392.08	100
22	भि.ड	लहार बायपास मार्ग	2.20	258.45	100
23	रायसेन	अर्जनी तिराहा से मूडापार तुलसीपार तक मार्ग	3.06	120.74	100
24	सीहोर	भोजनगर से बिलकिसगंज मार्ग	4.40	342.34	100
25	छतरपुर	गर्रापुरा पहुँच मार्ग (छतरपुर) गौर रोड़ से गर्रापुरा एवं छोटा गोशपुरा मार्ग	5.44	339.15	100
26	छतरपुर	गोशपुरा पहुँच मार्ग (छतरपुर) टिकरा से बड़ा गोशपुरा मार्ग	2.00	156.37	100
27	नरसिंहपुर	बेलखेड़ी से मोहपा मार्ग	3.70	316.12	100

28	सतना	मझटोला से कुंआ मार्ग	3.55	207.27	100
29	अशोकनगर	भूरिया खेड़ी से रिजौदा मार्ग व्हाया चुगलरी खानपुर मार्ग	7.62	503.81	100
30	अशोकनगर	सिंगाड़ा से केशोपुर मार्ग	4.82	306.33	100
31	जबलपुर	सिद्धघाटी टेमरभीटा से जैतपुरी पहुँच मार्ग	2.15	147.06	100
32	सीहोर	गुराड़िया वर्मा से कातला जोड़ मार्ग	5.10	321.83	100
33	सीहोर	कजलास से जौलाई मूडला मार्ग	5.50	475.16	100
34	सीहोर	जावर जोड़ (एस. एच. 18) से जावर तक टूलेन सी. सी. निर्मा.।	4.00	727.25	100
35	नीमच	लोड़किया से आंत्रीमाता मार्ग	1.80	148.25	100
36	उज्जैन	सेदरी से बड़ावदा मार्ग	5.50	318.82	100
37	उज्जैन	भाटखेड़ी से लेकोड़िया मार्ग	4.20	247.66	100
38	उज्जैन	नागदा रिंग रोड़	4.50	875.32	100
39	उज्जैन	रोहल खुर्द से डेलनपुर मार्ग	3.41	213.83	100
40	भि.ड	गिंगरखी से मानिकपुरा मार्ग	2.80	144.80	100
41	भि.ड	मेहदा से रेमजा मार्ग	8.00	437.47	100
42	भि.ड	चंदुपुरा से गोपालपुरा ढोचरा मार्ग	2.20	121.35	100
43	भि.ड	बेहट मौ मार्ग से रतवा मार्ग	5.50	271.10	100
44	भि.ड	बनीपुरा से कठमा गुर्जर मार्ग	3.10	159.48	100
45	भि.ड	किटी से जारहेट मार्ग	1.50	128.06	100
46	भि.ड	कठमाहाजी से टुडीला मार्ग	2.10	105.13	100
47	भि.ड	इटायली से घमूरी व्हाया झल्लपुरा मार्ग	3.20	156.71	100
48	भि.ड	निवरोल से भगराई मार्ग	2.20	118.32	100
49	राजगढ़	ब्यावरा शहर के चौड़ीकर.। व उन्नयन का कार्य	5.19	886.98	100
50	भि.ड	अमायन थाने से गुर्जरक	6.10	357.83	100
51	सीहोर	मैना से कुरावर मार्ग	14.30	968.36	100
52	भि.ड	रतै का पुरा से भौनपुरा मार्ग	4.50	195.68	100
53	शिवपुरी	जोर्डन रोड़	1.79	435.12	100
54	शिवपुरी	लक्ष्मीबाई मार्ग	0.59	131.63	100

योग 226.08 19597.03 5400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नांकित मार्गों के निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 19816.59 लाख की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति विभागीय बजट से की जावेगी।

स.क्र.	मार्ग का नाम	जिला	(राशि लाख में)		
			लंबाई (कि.मी.)	लागत	अनुपूरक अनुदान की राशि
1.	डबरा भितरवार हरसी मार्ग पर बायपास निर्माण	ग्वालियर	3.05	972.53	100
2.	मोती नगर तिलि पथरिया मार्ग	सागर	12.80	3821.31	100
3.	मण्डला कान्हा (बम्हनी) मार्ग	मण्डला	12.40	3222.91	100
4.	बैहर मुक्की गढ़ी मार्ग	बालाघाट	32.96	4895.91	100
5.	उचेहरा मार्ग (राजमार्ग-56 के कि.मी. 0 से 32 उचेहरा नागौद सेक्शन एवं उचेहरा बायपास मार्ग	सतना	33.16	4681.28	100
6.	गुना फतेहगढ़ पारोन मार्ग (एस.एच.-23) के चयनित क्षतिग्रस्त भाग कि.मी. 31 से	गुना	14.24	1973.60	100

कि.मी. 60 (कुल लंबाई 14.248) की
मरम्मत कार्य, कि.मी. 49/10 पर पुलिया का
पुनर्निर्माण, कि.मी. 3/4, 38/6स 46/2 एनं
58/10 में स्थित पुल/पुलियों का निर्माण
एवं कि.मी. 18/2-6 झागर में पेव्डड शोल्डर
का निर्माण कार्य

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

विशेष सेवाओं के लिये मानदेय राशि रुपये 88.68 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

समारोह के आयोजन हेतु अनुदान अंतर्गत राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अशासकीय संस्थाओं को अनुदान अंतर्गत राशि रुपये 2.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

कंजर्वेशन एवं संवर्धन योजना अंतर्गत स्मारकों के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 1,94,25,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,94,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

सार्वजनिक पुस्तकालय अंतर्गत अभिलेखागारों, सरकारी पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु राशि रुपये 33.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

संग्रहालय योजना अंतर्गत संग्रहालयों के उन्नयन विकास एवं प्रदर्शन कार्य हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. संस्कृति परिषद को विकास अनुदान हेतु राशि रुपये 193.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,93,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सिंहस्थ 2016 संगोष्ठियों का आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

रेडियों आजाद हिन्द से कार्यक्रम का निर्माण एवं प्रसारण अंतर्गत राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र योजना अंतर्गत व्यय शीर्ष उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त शीर्ष खोला जाकर राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है, राशि की व्यवस्था उपलब्ध बचत के माध्यम से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत आई.टी./ई-गवर्नेंस योजना अंतर्गत आकस्मिक प्रकार के व्ययों को आयोजनेतर मद अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है। अतः राशि रुपये 13.45 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28
मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1 - 2

माननीय विधायकगणों के वेतन भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान राशि रुपये 6.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

विधानसभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों में पुनरीक्षण के कारण इसके लिये राशि रुपये 18.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय के बिजली एवं जल प्रभार के लिये रुपये 25.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

म.प्र. उच्च न्यायालय के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर एवं राज्य के समस्त जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु प्रशिक्षण सामग्री, न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा मध्यस्थों एवं वकीलों के प्रशिक्षण हेतु कुल राशि रुपये 7.854 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,85,40,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मुख्य जिला न्यायाधीश श्योपुर हेतु नवीन वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु वर्ष के दौरान नवीन वाहन क्रय मद में राशि रुपये 7.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न स्टेक होल्डर्स की सुविधाओं में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल के क्रय हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4-5

अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत विभिन्न जिला न्यायालयों के अभिलेखों का स्केनिंग तथा अंकीकरण कार्य किया जाना है। इस हेतु आगामी पांच वर्षों में कुल राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है। उक्त कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 7.25 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 - 11

म.प्र. महाधिवक्ता जबलपुर कार्यालय के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यात्रा भत्ता दौरे आदि पर, पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें, पेट्रोल तेल, कार्यालय उपकरण का क्रय, अभिभाषकों की फीस एवं वाहन अनुरक्षण आदि मदों में राशि रुपये 196.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,96,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

परिवार न्यायालयों हेतु वर्ष के दौरान 05 नवीन वाहन क्रय किये जाने हैं। अतः इस मद में राशि रुपये 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 13 - 14,16

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिये स्वीकृत संविदा कर्मचारियों का मानदेय, कार्यालय उपकरणों का क्रय एवं साफ सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान राशि रुपये 437.35 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,37,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मुख्य निर्वाचन कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान नवीन वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 9.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु लगे अमले के मानदेय की दरों में वृद्धि के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 3723.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,23,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 - 24

प्रदेश में सांसद के उप चुनाव का निर्वाचन कराने हेतु इस वित्तीय वर्ष के दौरान राशि रुपये 317.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,17,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25 - 30

राज्य विधान मंडल के उप चुनाव कराने हेतु इस वर्ष 2016-17 के दौरान राशि रुपये 159.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,59,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 31

न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न जिलों में 26 बड़े एवं 27 छोटे ए.डी.आर. सेंटर्स के निर्माण हेतु राशि रुपये 13.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 15.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ए.डी.आर. एवं मीडिएशन सेंटर्स के मध्यस्थों को मानदेय वितरित किये जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 2

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 3

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 4

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में विज्ञापन एवं प्रचार मद में रुपये 1150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत कॉल सेंटर की स्थापना के लिये इस वित्तीय वर्ष में राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत निःशक्तजनों का बाधारहित वातावरण योजना अंतर्गत राशि रुपये 3,15,05,600 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,15,05,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37

मुख्य शीर्ष 5452

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को जल पर्यटन विकास के लिये अनुदान हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3

पर्यटक जनसुविधा केन्द्रों के संचालन एवं संधारण हेतु आर्थिक सहायता अंतर्गत नवीन योजना खोली जाकर राशि रुपये 5.00 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पर्यटन विकास हेतु निजी भू-अर्जन के मामलों में मुआवजा के भुगतान हेतु नवीन योजना खोली जाकर राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल का निर्माण अंतर्गत केन्द्रीय सहायता हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

होटल प्रबन्धन संस्थान (भवन निर्माण) के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु नवीन योजना खोली जाकर राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है ।
राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जानी है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 38
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

आयुष विभाग के अंतर्गत होम्योपेथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में पदस्थ अमले के भुगतान हेतु राशि रुपये 8.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2 - 6

आयुष विभाग के अंतर्गत यूनानी महाविद्यालय भोपाल में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 2.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत म.प्र. उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग हेतु वाहन क्रय के लिये रुपये 19.64 लाख की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

खाद्य विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ कार्यालय व्यय एवं फर्नीचर कार्यालयीन उपकरण हेतु राशि रुपये 73,09,500 की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 73,09,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

खाद्य विभाग के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 140.00 करोड़ की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 110.78 करोड़ की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,10,78,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

खाद्य विभाग के अंतर्गत खाद्यान्न भण्डारण गारंटी योजना हेतु राशि रुपये 14.38 करोड़ की आवश्यकता है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 6

खाद्य विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ हेतु राशि रुपये 4.20 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5475

मद क्रमांक 7

खाद्य विभाग के अन्तर्गत सभागीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 2.25 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 - 24

मॉडल स्कूलों को राज्य योजना के रूप में संचालन किये जाने हेतु अन्य स्कूलों की भांति स्टॉफ के वेतन भत्ते आदि एवं अन्य व्ययों हेतु राशि रुपये 2400 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 25

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26

मॉडल स्कूलों की स्थापना अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिये राशि रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 1848.42 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,48,42,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 24

आदिवासी क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों में पदस्थ अमले के वेतन भत्ते एवं अन्य व्यय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत विभिन्न मदों में रुपये 2300/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,300/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

पी. एच. डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रुपये 16,000/- प्रतिमाह के मान से शोध छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 132.00 लाख की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,32,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 26

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है तथा गत वर्षों की व्ययगत राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 4.59 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,59,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 27

अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां योजना अंतर्गत राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं के सतत अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु 5 नवीन वाहनो का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 37.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अलीराजपुर, बड़वानी, बैतुल, सिवनी, हरदा, एवं धार में निजी भवनो में संचालित कन्या शिक्षा परिसरों के किराये के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 15.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,33,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

प्रदेश के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र के प्रदाय हेतु राज्य लोकसेवा अभिकरण को लंबित देयको के भुगतान करने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों जिसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, डोयरी डेव्हपलपमेंट, आंगनवाडी भवन निर्माण, कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी गतिविधियों हेतु भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिये संसूचित राशि रु. 12825.10 लाख एवं गत वर्ष की अव्ययित राशि को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा पाकेट, कलस्टर में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 14009.16 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,40,09,16,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

योजनाओं का अनुश्रवण / मूल्यांकन / सर्वेक्षण योजना अंतर्गत राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं के सतत अनुश्रवण और मूल्यांकन हेतु 5 नवीन वाहनो का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 37.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

वन्या प्रकाशन के माध्यम से प्रदेश के आदिवासियों के बीच सीधे उनकी तरफ़ी के लिये राज्य द्वारा संचालित प्रवर्तित योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, जनजाति संस्कृति, तथा सांस्कृतिक परम्पराओं आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं 1995 के तहत दी जाने वाली राहत राशियों की दरों में वृद्धि की गई है। केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत 50 प्रतिशत रुपये 200.00 लाख केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत रुपये 200.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 400.00 लाख की प्रावधानित राशि के अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 34

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण, लिफ्ट, रेम्प, टॉयलेट, श्रवण बाधित केन्द्र आदि हेतु वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा विगत वर्षों की व्ययगत राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 89,68,400/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,68,400/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 35

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2013 के शेष दावे एवं खरीफ 2015 में प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान के दावों के भुगतान तथा नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम अनुदान की राज्यांश की राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 46200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,62,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

भारत सरकार की क्रियान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कृषि यंत्रीकरण घटक के लिये वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित राशि हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 997.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,97,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (उद्यानिकी अनुभाग) की क्रियान्वित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक माइक्रो इरीगेशन के लिये वर्ष 2016-17 में निर्धारित राशि हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 4471.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,71,90,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

केन्द्र प्रवर्तित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन के क्रियान्वयन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39

भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (उद्यानिकी अनुभाग) की क्रियान्वित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिये वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित राशि का केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 448.96 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,48,96,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 40

भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रिय योजना अंतर्गत राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 2014-15 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी व्यपगत राशि हेतु भारत सरकार द्वारा रिवेलीडेशन प्राप्त हुआ है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 88.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 41

मुख्य मंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा सदस्य कृषको को दिये जाने वाले अल्पकालीन फसल ऋण में खाद एवं बीज के लिये दिये गये वस्तु ऋण के 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- प्रति कृषक प्रतिवर्ष सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 3405.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,05,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर देय किस्तों पर कृषको को ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 5503.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,03,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक साख सहकारी समितियों द्वारा रियायती ब्याज दरो पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 3424.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,24,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 44

प्रधानमंत्री सड़क योजनांतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 45

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत कल्पवृक्ष योजना के हितग्राहियों के संयुक्त खाते में जमा राशि विभागीय आय शीर्ष से आहरित कर केन्द्र शासन को वापस किये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 8.15 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 46

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत भवन एवं आवास गृहों के निर्माण म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 3500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 47

आदिवासी क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण के शेष कार्यों हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 48

आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य पी.आई.यू., लो.नि.वि., राजधानी परियोजना एवं गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 49

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में छात्रावास भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में गत वर्षों की व्यपगत राशि रुपये 0.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 50

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से खंडवा में चिकित्सा महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 51

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से शहडोल में शहडोल चिकित्सा महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 52

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत विविध विकास कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये रुपये 20227.79 लाख की संसूचना दी गई है। इस हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा विगत वर्षों की व्ययगत राशि के प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 10706.79 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,07,06,79,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 53

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिये रुपये 5496.48 लाख की संसूचना दी गई है। जिसमें से एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना में अधोसंरचना संबंधित विकास कार्यों के लिये तथा पूर्व वर्षों की अव्ययीत राशि के प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 4572.69 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,72,69,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 54

आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु रु. 77.00 लाख से वृद्धि कर रु. 185.00 लाख किया है तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की व्ययगत राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 5471.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,71,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 55

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप इंदिरा सागर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र से संबंधित वॉटर कोर्स फिल्ड चैनल के निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2094.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,94,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 56

अपर वेदा परियोजना के बांयो तट नहर से संबंधित निर्माण कार्य, वितरण प्रणाली में लाईनिंग से संबंधित निर्माण कार्य तथा डूब क्षेत्र में विकास के शेष कार्यों हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 57

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य खनिज विकास निधि से किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत(रु. लाख में)
1.	शहडोल	जयसिंहनगर	ओदारी डायलर्शन स्कीम	2828.43
2.	शहडोल	जयसिंहनगर	बिछली नाला जलाशय	2356.95
3.	मंडला	निवास	गौर जलाशय	3435.77

4.	धार	कुक्षी	खेरली जलाशय	323.77
5.	धार	दही	धरमामेरी जलाशय	869.29
6.	उमरिया	पाली	छौटतुमनी जलाशय	255.93
7.	उमरिया	करकेली	भानपुरा जलाशय	1134.31
8.	शहडोल	गोहपारु	दियापिपर जलाशय	1208.15
9.	शहडोल	बुरहार	साही जलाशय	1572.38
10.	शहडोल	बुरहार	सामधीन जलाशय	2877.09
11.	अनुपपूर	अनुपपूर	सिंहपुर डायलर्शन योजना	2222.09
12.	अनुपपूर	अनुपपूर	बकान डायलर्शन योजना	2423.90
13.	अनुपपूर	अनुपपूर	गोहरारी डायलर्शन योजना	1390.37
14.	अनुपपूर	पुष्पराजगढ़	समरार तालाब	1590.30
15.	अनुपपूर	पुष्पराजगढ़	झिलमील तालाब	1690.40
16.	बड़वानी	पाटी	बेरदा तालाब	4845.87
17.	धार	नालछा	दुर्गापुर तालाब	304.79
18.	खरगौन	भिकनगांव	लाछौरा तालाब	477.37
19.	धार	उमरबन	खेरवा तालाब	602.55

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 58

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित लघु सिंचाई योजनाओं के सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.) के तहत निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत (रु. लाख में)
1.	बड़वानी	पंनसामेल	जालियापानी तालाब	217.61
2.	बड़वानी	पंनसामेल	गौरीखेडा तालाब	105.37
3.	बड़वानी	सेंधवा	बडगांव तालाब	176.49
4.	बड़वानी	पाटी	सेमली तालाब	380.83
5.	शयोपुर	कराहल	खिरखिरी तालाब	135.85
6.	शहडोल	जयसिंहनगर	चुन्दी डायलर्शन योजना	666.23
7.	खरगौन	सेगांव	भिलकरखेडी तालाब	334.84
8.	शहडोल	ब्यौहारी	छातेनी तालाब	176.47
9.	धार	उमरबन	मन्दावंती तालाब	131.94

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (राशि लाख में)
1.	शहडोल	शहडोल जिले में बरकछ ब्यौहारि मार्ग में झापर नदी पर पहुँच मार्ग सहित बाक्स चाईप पुल का निर्माण	215.19
2.	शहडोल	शहडोल जिले में कटनी-जनकपुर के कि.मी. 166/2 पर ओदारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	262.94
3.	शहडोल	शहडोल जिले में रीवा-शहडोल मार्ग के क.मी. 124/4 पर चूंदी नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	260.75
4.	शहडोल	शहडोल जिले में रीवा-शहडोल मार्ग के क.मी. 151/4 पर सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	606.99
5.	धार	धार जिले में खलघाट मनावर मार्ग के क.मी. 43/2 पर मान नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	712.04

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थान पर म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों / पुलों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत (राशि लाख में)
1.	धार	सरदारपुर जिला धार अंतर्गत ग्राम राजोदा में रोड किनारे पक्की नाली निर्माण	2.81	168.87

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत (राशि लाख में)
1.	उमरिया	चरगमा पहुँच मार्ग	4.50	257.21
2.	उमरिया	चंदिया से रामपुर मार्ग	2.50	167.46
3.	उमरिया	चेतगंज से बरहा कछरा टोला मार्ग	4.50	235.33
4.	उमरिया	कलोनी से अमरहा मार्ग	4.00	193.62
5.	उमरिया	बकेली से धौरई मार्ग	5.00	261.98
6.	उमरिया	मुडगुडी से सुखदास पहुँच मार्ग	5.00	229.65
7.	उमरिया	अमिलिहा से बांधवाबारा मार्ग	5.00	271.13

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत (राशि लाख में)
1.	बैतुल	आदर्श पिपरिया से बकाजन चिखली मार्ग	6.70	547.38
2.	बैतुल	हिवरखेड़ी से ढाबला मार्ग	8.50	662.96
3.	बालाघाट	उंगली से मुरुमनाला मार्ग	5.60	832.22
4.	धार	सुसारी अमलाल बड़ी बावली गाजकोटा रणगांव मार्ग	18.80	653.55
5.	सीधी	भितरी हरजिन बस्ती से कंडावर आदिवासी बस्ती तक मार्ग	5.00	369.83
6.	खरगोन	चिंदड़िया से मोगावां मार्ग	2.37	165.06
7.	रतलाम	बाजना कुशलगढ़ मार्ग	7.20	1513.92
8.	सिंगरौली	मयार नदी पहुँच मार्ग	4.70	265.54
9.	सिंगरौली	हटका नाला पहुँच मार्ग निर्माण	5.00	280.88
10.	सिंगरौली	मयार नदी भमौरा से गहिड़ार पहुँच मार्ग पुल पुलिया सहित	3.00	167.77

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44
मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 384.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6202

मद क्रमांक 2

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारियों को पांचवें वेतनमान में पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप दिनांक 01-04-2010 से देय एरियर राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 14.80 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45
मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 1

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाओं के खनिज विकास निधि से वित्त पोषण किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सिंचाई परियोजनाओं अंतर्गत निम्नांकित 10 कार्य किये जाना है।

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में)	अनुपूरक अनुदान की राशि (राशि लाख में)
1.	पिपलिया कलान तालाब	राजगढ़	160.15	752	100
2.	कुमारनाला तालाब	बुरहानपुर	80.74	264	100
3.	सेहरा तालाब	सीधी	316.38	878	100
4.	उन्दवा तालाब	धार	97.24	190	100

5.	झिंझरदा तालाब	धार	61.00	112	100
6.	चंदनपारा तालाब	धार	86.11	218	100
7.	रेलपाडा तालाब	धार	107.73	235	100
8.	तुमरा तालाब	भोपाल	44.51	179	100
9.	अंजनखेड़ी तालाब	धार	48.51	121	100
10.	रूपनाथ तालाब	कटनी	92.36	294	100

योग 1094.73 1000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं के निर्माण के लिये राशि रुपये 11386.99 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति विभागीय बजट से की जायेगी।

(राशि लाख में)

स.क्र. योजना का नाम जिला लागत सिंचाई क्षमता अनुपूरक अनुदान की राशि
(हेक्टेयर में)

1.	अमहोराडोल जलाशय	सीधी	1433.33	410	100
2.	रीमर तालाब	शहडोल	1007.25	355	100
3.	दुधारिया तालाब	शहडोल	1210.87	350	100
4.	बालोदी तालाब	शहडोल	1140.65	335	100
5.	दरगढ़ सिंचाई परियोजना	जबलपुर	6594.89	1950	100

योग 11386.99 500

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजना अन्तर्गत निम्नांकित 72 योजनायें क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है:-

1	पिपलिया कुमार जलाशय	राजगढ़	1192.47	347	3.44	100
2	रतनपुरिया जलाशय	राजगढ़	1443.38	470	3.07	100
3	धबलीकला जलाशय	राजगढ़	1135.24	360	3.15	100
4	अनखखेरी बैराज	राजगढ़	215.03	180	1.19	100
5	उगलानाला बैराज	राजगढ़	212.94	140	1.52	100
6	मावसा बैराज	राजगढ़	216.39	125	1.73	100
7	अम्हाटोला जलाशय	शहडोल	528.15	178	2.97	100
8	अनखखेडा स्टापडेम	दमोह	464.84	290	1.60	100
9	बल्लारपुर स्टापडेम	दमोह	926.12	815	1.14	100
10	बीजावर स्टापडेम	दमोह	676.08	550	1.23	100
11	धोन्डा स्टापडेम	दमोह	364.31	360	1.01	100
12	गोट्या स्टापडेम कम काजवे	दमोह	452.29	170	2.66	100
13	इटावा स्टापडेम कम काजवे	दमोह	529.50	300	1.77	100
14	झामरा स्टापडेम	दमोह	299.98	280	1.07	100
15	कान्तीघाट स्टापडेम	दमोह	513.06	400	1.28	100
16	खैराखेरी स्टापडेम	दमोह	447.09	385	1.16	100

17	खिराया स्टापडेम	दमोह	396.02	230	1.72	100
18	मुख स्टापडेम	दमोह	435.29	380	1.15	100
19	सगोहीकला स्टापडेम कम काजवे	दमोह	917.79	600	1.53	100
20	अहरोली स्टापडेम	मुरैना	637.27	450	1.42	100
21	भिदौसा स्टापडेम कम काजवे	मुरैना	588.21	380	1.55	100
22	गलेठा स्टापडेम कम काजवे	मुरैना	854.49	550	1.55	100
23	लालोर स्टापडेम	मुरैना	558.20	370	1.51	100
24	हिंगलामाता वियर	सागर	478.09	300	1.59	100
25	भगवतपुरा तालाब	उज्जैन	233.76	150	1.56	100
26	सालोल बैराज	विदिशा	822.33	510	1.61	100
27	मोदना स्टापडेम	भिण्ड	776.30	460	1.69	100
28	पारा स्टापडेम	भिण्ड	573.81	340	1.69	100
29	सीबनोल्या स्टापडेम	मुरैना	508.75	350	1.45	100
30	अरोल्ला स्टापडेम कम काजवे	राजगढ	101.57	110	0.92	100
31	हटियाखेडी जमुनिया बैराज	सीहोर	276.03	190	1.45	100
32	चाकलती बैराज	सीहोर	426.63	250	1.71	100
33	वान्कील तालाब	मन्दसौर	1279.17	435	2.94	100
34	आदमादित्य सालिड वियर	मन्दसौर	1119.93	1100	1.02	100
35	बिछिया स्टापडेम	दमोह	1107.49	950	1.17	100
36	चाकरीघाट स्टापडेम कम काजवे	दमोह	1160.92	670	1.73	100
37	सेमरा तालाब	दमोह	521.79	160	3.26	100
38	सलैया तालाब	दमोह	500.60	150	3.34	100
39	दौत्रिया तालाब	धार	418.62	245	1.71	100
40	कुन्दीबेह तालाब	राजगढ	356.02	120	2.97	100
41	मन्दाखेडा तालाब	राजगढ	269.72	90	3.00	100
42	सालरी स्टापडेम कम काजवे	राजगढ	277.32	170	1.63	100
43	खेरखेडी स्टापडेम कम काजवे	राजगढ	224.21	160	1.40	100
44	जामुनियाकला बैराज	भोपाल	227.52	200	1.14	100
45	पिपलखेडी सालिड वियर	मन्दसौर	426.00	275	1.55	100
46	मउखेडी सालिड वियर	मन्दसौर	444.83	260	1.71	100
47	रावलपाडा बैराज	धार	366.25	215	1.70	100
48	फूटा तालाब	राजगढ	640.52	250	2.56	100
49	पित्याखेडी सालिड वियर	मन्दसौर	341.04	205	1.66	100
50	नन्दावाता तालाब	मन्दसौर	656.28	260	2.52	100
51	नाहरखोरा तालाब	रतलाम	359.93	125	2.88	100
52	गुरुपुरा बैराज	राजगढ	239.03	350	0.68	100
53	सांईखेडा बैराज	रायसेन	323.48	200	1.62	100
54	तारखेडी तालाब	झाबुआ	206.70	100	2.07	100
55	एकल्यारा वियर	देवास	678.07	405	1.67	100
56	बीसाखेडी वियर	देवास	288.50	180	1.60	100
57	खरियासाहू वियर	देवास	200.70	125	1.61	100
58	गुलवाडा तालाब	गुना	290.06	100	2.90	100
59	चारगुआ वियर	सागर	540.76	310	1.74	100
60	चाकमुहारी तालाब	सागर	938.14	270	3.47	100
61	सुहाहेडी तालाब	राजगढ	859.32	315	2.73	100
62	हाथीपुरा तालाब	गुना	540.02	185	2.92	100
63	पारतिया लालमुहा तालाब	मन्दसौर	156.56	105	1.49	100
64	पिपलखेडी बैराज	राजगढ	199.24	130	1.53	100
65	उंचावाडा स्टापडेम कम काजवे	राजगढ	225.31	165	1.37	100
66	दोधियाना बैराज	रायसेन	361.30	210	1.72	100
67	हसापाल्या बैराज	रतलाम	224.95	130	1.73	100
68	पटाखेडी बैराज	रायसेन	267.77	155	1.73	100

69	अम्बक नाला तालाब	खरगौन	1597.49	14251.12	100
70	मनगढ तालाब	धार	1242.64	425	2.92
71	प्लासी तालाब	खंडवा	2334.93	670	3.48
72	सिपावरा बेराज	रतलाम	1499.10	870	1.72
योग			42113.64		7200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये. 7200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 46
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत भारत नेट परियोजना (नेशनल ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क) के संचालन हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत इंफोसिस तथा टी.सी.एस. को रियायती दर पर भूमि आवंटन के कारण इंदौर विकास प्राधिकरण को होने वाली क्षति की पूर्ति किये जाने हेतु राशि रुपये 46,47,61,600 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,47,61,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न विभागों के डाटाबेस में आधार सीडिंग करने हेतु स्टेट रेसीडेंट डाटा हब परियोजना के लिये योजना अंतर्गत राशि रुपये 2.50 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत अनुदान प्राप्त पोलिटेकनिक महाविद्यालयों को 6वें वेतनमान के एरियर्स राशि की चतुर्थ किश्त के भुगतान हेतु राशि रुपये 1.93 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,93,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत केन्द्र शासन की शत-प्रतिशत सहायता योजना अंतर्गत कम्प्यूनिटी डेवलपमेंट थ्रू पोलिटेकनिक योजना के लिये राशि रुपये 32.95 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत भारत सरकार की पोलिटेकनिक उन्नयन योजना अंतर्गत प्राप्त सहायता राशि रुपये 328.67 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,28,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय, बरेली जावद एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय नौगांव मुख्य भवन एवं अन्य विकास कार्यों के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	48
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1

इंदिरा सागर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र से संबंधित वाटर कोर्स फिल्ड चेनल कार्य को क्रियान्वयन करने हेतु राशि रुपये 8.69 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,69,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नर्मदा-क्षिप्र-सिंहस्थ लिंक परियोजना के विद्युत प्रभार एवं रख-रखाव हेतु राशि रुपये 34.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3-4

निष्पादन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2) योजना अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में राशि रुपये 2.00 लाख एवं अन्य प्रभार अंतर्गत रुपये 28.30 लाख कुल रुपये 30.30 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 7

अपर बेदा परियोजना अंतर्गत स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण, विद्युत प्रभार एवं अन्य हेतु राशि रुपये 1.46 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक उद्वहन योजना हेतु राशि रुपये 200.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के परिचालन एवं संधारण व्यय हेतु राशि रुपये 446.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,46,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

काली सिंध लिंक परियोजना अंतर्गत राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना अंतर्गत राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

बिस्तान उद्ग्रहण सिंचाई परियोजना हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 13

अधिकारियों के पेंशन अंशदान एवं अवकाश वेतन अंशदान के भुगतान हेतु राशि रुपये 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। जिसकी पूर्ति उपलब्ध बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 6953.61 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 69,53,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1 - 29

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत नवगठित विभागाध्यक्ष कार्यालय संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा किये जाने के कारण विभागाध्यक्ष कार्यालय के संचालन हेतु कुल राशि रुपये 125.91 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

निर्मल भारत अभियान के क्रियांवयन में आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3640.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2501

मद क्रमांक 2

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 7000 हितग्राहियों तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत 7000 हितग्राहियों को लाभांशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें परियोजना लागत की अधिकतम राशि रुपये 50000/- में अनुदान सहायता अधिकतम रुपये 15000/- प्रदान की जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 155.26 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,55,26,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 20000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 4

मुख्यमंत्री आवास मिशन योजना अंतर्गत बैंको को ऋण का पुनर्भुगतान करने तथा नवीन स्वीकृत प्रकरणों की मासिक किश्तों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 2870.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,70,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिये आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 13835.13 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,35,13,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन) हेतु निर्धारित राशि हेतु आदिवासी क्षेत्र उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 840.07 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,40,07,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54

मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को पेंशन योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 27.83 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,83,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

कृषि विभाग के अंतर्गत पवारखेड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना योजना हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 9

बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन अंतर्गत आयोग की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय प्रशासनिक सेवा मद अंतर्गत रुपये 21.20 लाख का व्यय संभावित है। उक्त व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 900 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10 - 14

संपूर्ण प्रदेश में लागू करने के लिये उदित परिियोजना के नाम से नवीन योजना प्रारंभ करने हेतु प्रशिक्षण, अन्य, विज्ञापन एवं प्रचार, मेला, उत्सव, प्रदर्शनी एवं अन्य प्रभार मदों में वर्ष 2016-17 में नवीन मद खोला जाना है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अंतर्गत राशि रुपये 11,63,93,400 एवं राज्यांश राशि रुपये 7,75,95,600 कुल रुपये 1939.89 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,39,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 - 18

भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत रुपये 32.80 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19 - 21

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदेश के 27 जिलों में ग्राम कन्वर्जेन्स एवं सुविधा सेवा योजना अंतर्गत बड़वानी, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, डिण्डोरी, खण्डवा, गुना, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, मंदसौर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा एवं खरगौन हेतु विशेष सेवाओं के लिये मानदेय, सामग्री पूर्ति एवं अन्य प्रभार मद में कुल राशि रुपये 27.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 22

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत राशि रुपये 35.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम द्वारा सहायित कार्यक्रम अंतर्गत होशंगाबाद आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र में होस्टल के भवन निर्माण हेतु रुपये 177.81 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,77,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 24

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु रुपये 1027.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 25

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन स्टॉप सेन्टर (सखी) पायलेट आधार पर इंदौर जिले में भवन निर्माण हेतु राशि रुपये 37.69 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंचायतों के कर्तव्यों और कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के लिये जिला ग्रामोद्योग कार्यालय की स्थापना योजना हेतु राशि

रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 4

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु राशि रुपये 300 का प्रतीक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत अनुरक्षण तथा अन्य प्रभार हेतु रुपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना हेतु राशि रुपये 148.99 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,48,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड प्रमोशन ऑफ हेन्डीक्राफ्ट योजना हेतु राज्यांश रुपये 156.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,56,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम योजना हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	57
मुख्य शीर्ष	4700

मद क्रमांक 1

वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना अंतर्गत पांच कछारों (बेतवा, चंबल, केन, सिंध, टोंस एवं बैनगंगा कछार) की योजनाओं के सुदृढीकरण हेतु माह अप्रैल वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 12.50 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 12,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	58
मुख्य शीर्ष	2245

मद क्रमांक 1

राहत आयुक्त कार्यालय के लिये दो वाहनों की निलामी के स्थान पर दो वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु राशि रुपये 8.00 लाख का व्यय संभावित है। उक्त व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नवनिर्मित राहत भवन के भू-तल पर राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष के कक्ष में टायलेट निर्माण किये जाने हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 1875.80 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,75,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 60
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि राशि रुपये 8.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 15.00 लाख की गई है। अतः अंतर की राशि रुपये 16,49,86,500 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,49,86,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 2

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 77.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 185.00 लाख की गई है। अतः अंतर की राशि रुपये 1,99,93,62,400 का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,93,62,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 61
मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1

पशुपालन विभाग के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास हेतु राशि रुपये 40.67 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,67,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

पशुपालन विभाग के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास हेतु राशि रुपये 10.15 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 3

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास योजना में राशि रुपये 71.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 4

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज में जल संरचनाओं का सुधार, पुनरूद्धार एवं पुनर्भरण योजना हेतु राशि रुपये 20.85 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4401

मद क्रमांक 5 -7

कृषि विभाग के अंतर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज योजना हेतु राशि रुपये 68.40 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 68,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 - 23

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों में पदस्थ अमले के वेतन भत्तो एवं अन्य व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न मदों में रुपये 2300/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,300/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 24

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है तथा गत वर्षों की व्यपगत राशि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 15.74 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,74,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 25

निदेशन और प्रशासन योजना अंतर्गत पदस्थ कुशल/अकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 13.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 26 - 27

विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्ध घुमकड़ जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों /आश्रमों /सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शयन सामग्री, फर्नीचर, भोजन के बर्तन, बाल्टी, गिलास, आदि तथा खेल सामग्री, साफ सफाई सामग्री आदि हेतु तथा भवन विहिन संस्थाओं के किराये के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 204.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,04,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 28

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत अत्याचार से घटित क्षेत्रों का भ्रमण, राहत राशि की समीक्षा सम्पूर्ण प्रदेश में सतत रूप से किये जाने हेतु 15 वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 48.75 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 48.75 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 97.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 97,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 29

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अंतर्गत सिपडा कार्यक्रम के तहत निःशक्तजनों के लिये बाधारहित वातावरण, लिफ्ट, रेम्प, टॉयलेट, श्रवण

बाधित केन्द्र आदि हेतु वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि तथा विगत वर्षों की व्ययगत राशि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1,02,96,100/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,02,96,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 30

राष्ट्रीय फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2013 के शेष दावे एवं खरीफ 2015 में प्राकृतिक आपदाओं में हुये नुकसान के दावों के भुगतान तथा नवीन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रीमियम अनुदान की राज्यांश की राशि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 35200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,52,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

भारत सरकार की क्रियान्वित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कृषि यंत्रीकरण घटक के लिये वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित राशि हेतु अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 569.83 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,69,83,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (उद्यानिकी अनुभाग) की क्रियान्वित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक माइक्रो इरीगेशन के लिये अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2996.19 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,96,19,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

केन्द्र प्रवर्तित प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (उद्यानिकी अनुभाग) की क्रियान्वित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिये अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 336.72 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,36,72,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 35

भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रिय योजना अंतर्गत राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 2014-15 में स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी व्ययगत राशि हेतु भारत सरकार द्वारा रिवेलीडेशन प्राप्त हुआ है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 72.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 36

मुख्य मंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा सदस्य कृषको को दिये जाने वाले अल्पकालीन फसल ऋण में खाद एवं बीज के लिये दिये गये वस्तु ऋण के 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- प्रति कृषक प्रतिवर्ष सहायता

अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1520.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,20,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान योजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर देय किश्तों पर कृषकों को ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1791.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,91,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

प्रदेश के अनुसूचित जाति के कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से प्राथमिक साख सहकारी समितियों द्वारा रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु म. प्र. राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराई जाने वाली अनुदान राशि हेतु वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 3189.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,89,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 39

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत कल्पवृक्ष योजना के हितग्राहियों के संयुक्त खाते में जमा राशि विभागीय आय शीर्ष से आहरित कर केन्द्र शासन को वापस किये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3.16 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,16,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

मद क्रमांक 40

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत भवन एवं आवास गृहों के निर्माण म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 2500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 41

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन किया जा रहा है। मॉडल स्कूलों के भवन निर्माण के शेष कार्यों हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ती बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 42

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में गत वर्षों की व्यपगत राशि रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 43

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से विदिशा में विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 44

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु रु. 77.00 लाख से वृद्धि कर रु. 185.00 लाख किया है तथा अनुसूचित जाति उपयोजना में इस वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की व्ययगत राशि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 4482.36 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,82,36,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 45

बाणसागर परियोजना ए. आई. बी. पी. सहायता अंतर्गत निर्माणाधीन है परियोजना की मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली से संबंधित निर्माण कार्यों हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 6780.00 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 4520.00 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 11300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 46

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप इंदिरा सागर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र से संबंधित वॉटर कोर्स फिल्ड चैनल के निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 40 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 225.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 47

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्मांकित स्थानों पर पुल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (राशि लाख में)
1.	सीधी	सीधी जिले में नेवर नदी के भुझमाड कुरचू कमरजी मार्ग में पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	241.63

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 48

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्मांकित स्थान पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत (राशि लाख में)
------	------	--------------	-------	---------------------

1. देवास	देवास शहर के मीरा बावडी चौराहे से बालगढ चौराहे तक मार्ग	2.35	620.66
----------	---	------	--------

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	66
मुख्य शीर्ष	4225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला स्तरीय कन्या छातावास भवनों के निर्माण के लिये राशि रुपये 473.71 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,73,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	67
मुख्य शीर्ष	2059

मद क्रमांक 1

मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सीवेज लाईन निर्माण हेतु रुपये 11.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4059
-------------	------

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. के माध्यम से कुल निम्नानुसार पांच विश्राम भवन राशि रुपये 1461.18 लाख की लागत से निर्माण कार्य किये जाना प्रस्तावित है।

क्र. विश्राम भवन प्राक्कलन राशि

1.	जिला बुरहानपुर में विश्राम भवन का निर्माण	294.95	100
2.	जिला नीमच में विश्राम भवन का निर्माण	307.74	100
3.	जिला अनुपपुर में विश्राम भवन का निर्माण	281.10	100
4.	जिला हरदा में विश्राम भवन का निर्माण	289.52	100
5.	जिला अशोकनगर में विश्राम भवन का निर्माण	287.87	100

योग 1461.18 500

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	69
मुख्य शीर्ष	2225

मद क्रमांक 1

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छातावासो /आश्रमों /सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शयन सामग्री, फर्नीचर, भोजन के बर्तन, बाल्टी, गिलास, आदि तथा खेल सामग्री, साफ सफाई सामग्री आदि हेतु तथा भवन विहिन संस्थाओं के किराये के भुगतान हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 71
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1, 4

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये अनुदान एवं अन्य प्रभार मद के अंतर्गत राशि रुपये 60.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 3, 5

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान एवं भूमि व भवनों का क्रय/अधिग्रहण मद के अंतर्गत हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 300.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

मद क्रमांक 6

सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये निर्माण कार्य के अंतर्गत राशि रुपये 40.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में स्थापित मशीनों को दुरुस्त एवं वार्षिक रख-रखाव के लिये राशि रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भिन्न-भिन्न अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी एवं पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राशि रुपये 65.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नगर निगम भोपाल को सेवा प्रभार प्रदाय करने हेतु राशि रुपये 4.26 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 4

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय (दतिया) के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 55.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित निर्मल भारत योजना के अंतर्गत रुपये 116.48 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,16,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रुपये 640.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 3

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु रुपये 39028.92 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,90,28,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केन्द्र क्षेत्रीय योजना मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन हेतु राशि रुपये 1890.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,90,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 5

पंचायत विभाग के अंतर्गत जनपद पंचायतों को सहायता हेतु अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली योजना में रुपये 24673.92 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,46,73,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

पंचायत विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सहायता हेतु अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान योजना हेतु राशि रुपये 744.41 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,44,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

पंचायत विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा) हेतु राशि रुपये 11395.76 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,13,95,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1-2

प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत संविदा शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु राशि रुपये 25000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय अंतर्गत नवीन योजना खोली जाकर राशि रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।